

प्रशासन गावों के लिये नियम-2021

FROM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

.....

किस्म मुकदमा- पत्थरगढ़ी

नं. 81/2021

रान् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तारीख में जारी हुए
24.11.2021	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>महेश कुमार शर्मा</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमावन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>तखवादा</u> पटवार मण्डल <u>बिलौरी</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ... <u>72/2</u> <u>74</u> <u>75/1</u> <u>833/73</u> <u>0.1836</u> <u>0.313</u> <u>0.1836</u> <u>0.1512</u></p> <p>रकबा <u>0.1836</u> हेक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वहस सुनी गई। प्रार्थी जैर वहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 1500/- अक्षर <u>एक</u> हजार <u>पचास</u> रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार विना किसी के कब्जे काशत में दखल दिये मौजा <u>तखवादा</u> पटवार मण्डल <u>बिलौरी</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>72/2</u> <u>74</u> <u>75/1</u> <u>0.1836</u> <u>0.313</u> <u>0.1836</u></p> <p>रकबा <u>0.1512</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकममल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>8-4-22</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर <u>8</u> कम हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला